न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 31/2022
GCMS NO. : 2022/52

-: प्रार्थीगण:-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. चौथाराम पुत्र लालूराम 2. कमला पत्नी चौथाराम जातिगण- भांबी (मेघवाल), निवासीगण- निम्बेटी, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।		1. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील- जैतारण जिला-पाली 2. हल्का पटवारी रास प्रथम, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 13/06/2022

उपस्थितः- 1. श्री शाकिर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 23/02/2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक रास, तहसील जैतारण, जिला पाली में वक्त सेटलमेन्ट कृषि भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, लादो उर्फ लादा उर्फ लादू वल्द आईदान उर्फ आदुराम जाति भांबी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक की इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि खसरा नम्बर 650 के चिपते ही पश्चिमी दिशा में स्थित है। वक्त सेटलमेन्ट के खातेदार लादो उर्फ लादा उर्फ लादू वल्द आईदान उर्फ आदुराम जाति भांबी का नाम राजस्व रेकर्ड में सम्वत् 2065-2068 की जमाबन्दी तक लगातार यथावत रहा और उनके देहान्त के पश्चात् जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 3222 दिनांक 23.10.2009 के अनुसार बिदामी पत्नी लादू दर्ज किया गया। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 649 का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 तक ल[illegible] आदूराम का यथावत रहा परन्तु उक्त कृषि भूमि की चौसाला ज[illegible] सम्वत् [illegible] से 2064 की कम्प्युटर से तैयार करते समय सहवन से [illegible] आदेश के खसरा नम्बर [illegible]/1 इन्द्राज कर दिया गया। जो कानूनन विधि विरूद्ध है और एक रोन्गा [illegible] है। जिसे दुरूस्त किये जाने हेतू यह प्रार्थना-पत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। बिदामी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

चौथाराम पुत्र लालूराम व रामाकिशन पुत्र मुलाराम को जरिये रजिस्र्ड बैचान के हस्तान्तरण कर दी, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3244 दिनांक 04.02.2010 को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया तथा उक्त रामाकिशन पुत्र मुलाराम ने भी अपनी खरीद सुदा कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान के कमला पत्नी चौथाराम जी को हस्तान्तरण कर दी जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में इनका बतौर खातेदार के इन्दाज किया गया। तथा बिदामी पुत्री लादूराम ने अपनी शेष बची भूमि को भी कमला पत्नी चौथाराम को जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड के हस्तान्तरण कर दी व उसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3715 दिनांक 20.07.2013 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीगण द्वारा खरीद करनें के पश्चात् मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज है। उपरोक्त सेटलमेन्ट से राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह पूर्णतया साबित है कि यह केवल 03-07 बीघा के रकबे का खसरा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 650 के चिपते ही पश्चिमी दिशा में स्थित है जहां पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। जो राजस्व नक्शा व जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है परन्तु उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रेकर्ड को तैयार करते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से बिना किसी आदेश के एवं बिना कोई मौके एवं रेकर्ड की जांच किये खसरा नम्बर मूल 649 को 15 बीघा का रकबा बताकर गै0मु0 रास्ता जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 में इन्द्राज कर दिया जो कानूनी की निगाह में एक रोंग एन्ट्री है तथा इस रोंग एन्ट्री के आधार पर बाद की जमाबन्दीयों में भी उक्त रोंग एन्ट्री आज दिन तक चली आ रही है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतू प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उक्त रोन्ग एन्ट्री बाबत प्रार्थीगण को दिनांक 24.01.2022 को उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां की नकले लेने पर हुई तब प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और कहा कि राजस्व रेकर्ड में सहवन से लिपिकिय त्रुटि बिना किसी आदेश के तथा बिना मौके व रेकर्ड की जांच किये मूल खसरा नम्बर 649 को 15 बीघा का रकबा बताकर गैरमुमकिन रास्ता का इन्दाज राजस्व रेकर्ड में हो गया है जो कि एक कानून की निगाह में एक रोंग एन्ट्री है। जिसे दुरूस्त किया जावे, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड दुरूस्त करने बाबत मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से इस बाबत आदेश करवावों इसलिये प्रार्थीगण को उक्त रोंग एन्ट्री बाबत् जानकारी हुई, जो अन्दर म्याद यह प्रार्थनापत्र रेकर्ड दुरूस्ती श्रीमान् के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन् वास्ते जबाब प्राप्ति तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया है कि ग्राम रास प्रथम के खसरा नम्बर 649 रकबा 03-07 बीघा लादू पुत्र आदूराम के स्थान पर विरासत से बिदामी पुत्री लादू दर्ज होना राजस्व रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (पाली)

से बिदामी पुत्री लादू दर्ज होना राजस्व रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। जरिये नामान्तरण संख्या 3715 से खसरा नम्बर 649/1 जरिये बेचान कमलादेवी पत्नी चौथाराम के नाम दर्ज हुई। जो राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। रास का खसरा नम्बर 749 रकबा 15 बीघा सम्वत् 2053 से 2056 के अनुसार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज था जो नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 तैयार करते समय सहवन से खसरा नम्बर 649 दर्ज हो गया (प्रमाणित प्रतियां संलग्न है) ऑनलाईन वन टू वन खसरे का नक्शा तैयार करते समय इसी अनुसार सहवन से गलत तरमीम दर्ज हो गयी। निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 649 के संशोधन हेतु ग्राम रास प्रथम में गलत दर्ज खसरा नम्बर 649 रकबा 15 बीघा को विलोपित कर सही ईन्द्राज ग्राम रूपनगर में खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4281 हैक्टेयर (15 बीघा) किस्म गैर मुमकिन रास्ता जोड़ा जाना व ग्राम रास प्रथम में खसरा नम्बर 649 का निम्नानुसार दुरूस्त ईन्द्राज होना उचित प्रतीत होता है:- 1. चौथाराम पुत्र लालूराम कौम मेघवाल सा0 निम्बेटी खातेदार खसरा नम्बर 649 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 2. कमलादेवी पत्नी चौथाराम कौम मेघवाल सा0 निम्बेटी खातेदार खसरा नम्बर 649/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 व खसरा नम्बर 649/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा0दो।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा-रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, तहसील- जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 649 रकबा 03-07 बीघा वक्त सेटलमेन्ट से लादो उर्फ लादा उर्फ लादू वल्द आईदान उर्फ आदुराम जाति भांबी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त दर्ज थी। इनके देहान्त पश्चात् जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 3222 दिनांक 23.10.2009 के अनुसार बिदामी पुत्री लादू दर्ज किया गया तथा राजस्व अधिकारीयों द्वारा चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 तैयार करते समय सहवन से बिना किसी आदेश के खसरा नम्बर 649/1 इन्द्राज कर दिया गया जो की एक रोन्ग एन्ट्री है। बिदामी पुत्री लादू ने उक्त खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान एवं रजिस्टर्ड सैलडीड के प्रार्थीगण को हस्तान्तरण कर दी जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3244 दिनांक 04.02.2010 व नामान्तरण संख्या 3715 दिनांक 20.07.213 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा खरीद करने के पश्चात् मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज है। उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रेकर्ड को तैयार करते समय हल्का पटवारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

649 को 15 बीघा का रकबा बताकर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जमाबन्दी 2057 से 2060 में इन्द्राज कर दिया जो की एक रोंग एन्ट्री है, जो वर्तमान की जमाबन्दीयों में भी बदस्तुर जारी है। अतः इसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा नम्बर 649 रकबा 03-07 किस्म बारानी दोयम दर्ज किया जावे।

2. अप्रार्थी तहसीलदार, जैतारण ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थनापत्र का बिन्दुवार जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम रास का खसरा नम्बर 749 रकबा 15 बीघा सम्वत् 2053 से 2058 के अनुसार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज था। जो नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2060 तैयार करते समय सहवन से खसरा नम्बर 649 दर्ज हो गया तथा ऑनलाईन वन टू वन खसरे का नक्शा तैयार करते समय इसी अनुसार सहवन से गलत तरमीम दर्ज हो गयी जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम रास, तहसील जैतारण की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 मे खसरा नम्बर 649 का रकबा 03-08 बीघा किस्म बारानी दोयम अंकित है। जमाबन्दी ग्राम रास सम्वत् 2018 से 2019, 2020 से 2023, 2024 से 2029 में खसरा नम्बर 649 का रकबा 03-08 बीघा व किस्म बारानी दोयम का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035, 2036 से 2039, 2041 से 2044, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2061 से 2064, में खसरा नम्बर 649 का रकबा 03-07 बीघा व किस्म बारानी दोयम दर्ज है। नामाकरण संख्या 3222 दिनांक 23.10.2009 के द्वारा उपरोक्त आराजी बिदामी पुत्री लादूराम के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् नामाकरण संख्या 3244 दिनांक 04.02.2010 द्वारा उक्त भूमि चौथाराम पुत्र लादूराम मेघवाल व रामाकिशन पुत्र मूलाराम जाति मेहतर के नाम दर्ज हुई तथा सहमति से खाता अलग-अलग किया गया जिससे मूल खसरा नम्बर 649 से दो खसरे क्रमशः 649/2 व 649/3 दर्ज किये गये तथा शेष खसरा 649/1 खातेदार बिदामी पुत्री लादूराम के दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 3715 दिनांक 20.07.2013 बेचान से खसरा नम्बर 649/1 खातेदार बिदामी पुत्री लादू की शेष भूमि रकबा 01-17 बीघा भूमि कमलादेवी पत्नी चौथाराम के नाम दर्ज हुई।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम [illegible] खतौनी बन्दोस्त, नक्शा किस्तवार से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 7[illegible] रकबा 15 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता वक्त सेटलमेन्ट से सम्वत् 2053 से 2056 तक की जमाबन्दी में सही दर्ज था परन्तु सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी तैयार करते समय लिपिकिय त्रुटि से खसरा नम्बर 749 के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

तैयार करते समय लिपिकिय त्रुटि से खसरा नम्बर 749 के स्थान पर खसरा नम्बर 649 रकबा 15 बीघा गलत दर्ज कर दिया जो कि वर्तमान में भी बद्दस्तुर जारी है तथा ऑनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय तथा वन टू वन खसरे का नक्शा तैयार करते समय खसरा नम्बर 649 की तरमीम भी खसरा नम्बर 649/1 व खसरा नम्बर 650 के बीच कर दी गई जो कि गलत है।

5. उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन, तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात्, जमाबन्दियां, खतौनी बन्दोबस्त, नक्शा किश्तवार इत्यादि से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 649 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी दोयम है, जिसमें से खातेदार द्वारा समय-समय पर किये गये बैचान से नवीन खसरे 649/2 व 649/3 बने एवं शेष खसरा 649 रहना चाहिये लेकिन इसके स्थान पर सहवन से 649/1 दर्ज हो गया तथा साथ ही सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय लिपिकीय भूल से खसरा नम्बर 749 रकबा 15 बीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता के स्थान वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 649 रकबा 15 बीघा तथा इसकी किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये इसकी तरमीम खसरा नम्बर 649/1 व 650 के बीच कर दी गई जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अतः वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 649 के रकबा, किस्म व तरमीम में चली आ रही त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि रकबा 15 बीघा व किस्म गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा नम्बर 649/3 को विलोपित करते हुये के स्थान पर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 649 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी दोयम को पुनः सही दर्ज किया जाना तथा ग्राम रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, में खसरा नम्बर 749 रकबा 15 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता को पुनः भू-अभिलेख में दर्ज करते हुये इसका सही जगह तरमीम किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 131 व 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 649 रकबा 03-07 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि के भू अभिलेख में जमाबंदी चौसाला संवत् 2057 से 2060 तैयार करते समय उक्त खसरे के रकबा व किस्म हुई त्रुटि तथा मूल खसरा नम्बर 649 से बने नवीन खसरा नम्बर 649/3 को विलोपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी दोयम में खातेदार चौथाराम पुत्र लालूराम कौम मेघवाल को खसरा नम्बर 649 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खातेदार कमलादेवी पत्नी चौथाराम कौम मेघवाल को खसरा नम्बर 649/1 रकबा 0.2995 किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 649/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, साथ ही जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुरूप खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4281 हैक्टेयर(15 बीघा) किस्म गैर मुमकिन रास्ता को पुनः भू अभिलेख में दर्ज करते हुये इसका सही जगह तरमीम किया जावे तथा इसी मुताबिक भू अभिलेख को अद्यतन व परिशुद्ध किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **23/02/2023** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested